

AUTHENTICATED


SHOBHA KARANDLAJE

Minister of State
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

REVIEW OF ACTIVITIES OF THE KERALA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 2014-15.

The Kerala Agro Industries Corporation Limited was incorporated in the year 1968 under the Companies Act, 1956 as a Government Company with equity participation of the Central Government and the State Government of Kerala. The authorized share capital of the Corporation is Rs. 5.00 crores. The paid-up capital of the Corporation is Rs.4.74 crores at the end of 2014-15. The Central Government's share in the paid-up capital is Rs. 1.69 crores. i.e about 35.76 % of the total paid up capital.

2. OBJECTIVES:

The main objectives of the Corporation are as under:

- I. Manufacture and distribution of agricultural machinery, improved implements and tools;
- II. Enabling persons engaged in agricultural and allied pursuits to own the means of modernizing their operations or alternatively making available necessary custom services for this purpose;
- III. Undertaking and assisting in the efficient distribution of inputs for agriculture;
- IV. Promotion and execution of industries having a bearing on production, preservation and supply of food;
- V. Providing technical guidance to farmers and persons concerned with Agro-Industries with a view to enabling efficient conduct of their enterprises
- VI. Mechanized Labour Bank;
- VII. Setting up of Vermi Compost Plants through local self-help groups;
- VIII. Establishment of training centre for operation, repair and maintenance of agriculture machineries; and
- IX. Implementation of Hi-Tech Farming.

Contd...

3. ACTIVITIES :

The main activities of the Corporation include sale of Tractors, Power Tillers, Sprinklers, Irrigation and Drip Irrigation Equipments, etc. Besides the Corporation is also engaged in sale of spare parts of tractors, tillers and other implements, fabricated goods, various agricultural inputs like organic manure, bio fertilizers, pesticides, etc. The Corporation is also carrying out other activities such as commodity trading, running of workshops and service stations for repairs and maintenance of agricultural machinery, implementation of various Government schemes and operating fruit processing unit at Punalur. The Corporation has recently ventured into new areas like skill developing training, Value addition for agricultural produces, setting up of retailing outlets, etc. Some of the major initiatives are: Agro Bazar, setting up of rice mill at Wayanad, jackfruit processing plant at Mala, modernization of Kerala Agro Fruit Products, Punalur, establishment of training centre for operation, repair and maintenance of agriculture machineries, Establishment of Agro Service Centers etc.

4. FINANCIAL RESULTS:

The total turnover of the Corporation during the year 2014-15 is Rs.6350.87 lakhs as against Rs 6442.90 lakhs in 2013-14.

During the year 2014-15, the Corporation has net loss of Rs. 240.80 lakhs as against a net loss of Rs. 107.66 lakhs during the 2013-14. As a result, the cumulative losses of the corporation for the year 2014-15 has reduced to Rs. 1709.06 lakhs as compared to the cumulative loss of Rs. 1468.26 lakhs suffered during the year 2013-14.

अधिप्रमाणित

S. S. S. S.
शोभा करांदलाजे
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

वर्ष 2014-15 के लिए केरल राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के कार्यकलापों की समीक्षा।

केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को केन्द्र सरकार और केरल राज्य सरकार की साम्य हिस्सेदारी से एक सरकारी कंपनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 1968 में शामिल किया गया था। निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी 5.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2014-15 के अंत में निगम की प्रदत्त पूंजी 4.74 करोड़ रुपये थी। प्रदत्त पूंजी में केन्द्र सरकार का हिस्सा 1.69 करोड़ रुपये है जो की कुल प्रदत्त पूंजी का 35.76% है।

2. उद्देश्य:

निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- I. कृषि मशीनरी, उन्नत उपस्करों और औजारों का विनिर्माण और वितरण;
- II. कृषि और सम्बद्ध कार्यों में लगे व्यक्तियों को अपने काम-काज के आधुनिकरण के तरीकों को अपनाने के लिए समर्थ बनाना या विकल्प के रूप में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कस्टम सेवाएं उपलब्ध कराना;
- III. कृषि के लिए आदानों का कुशल वितरण करना और इसमें सहायता करना;
- IV. खाद्य उत्पादन, परिरक्षण एवं आपूर्ति पर प्रभाव डालने वाले उद्योगों का संवर्धन तथा कार्यान्वयन;
- V. कृषकों और कृषि से सम्बंधित व्यक्तियों को तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करना ताकि वे अपने उद्यमों को कुशलता से चलाने में सक्षम बन सकें;
- VI. यंत्रिकृत श्रमिक बैंक ;
- VII. स्थानीय स्वसहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना ;
- VIII. कृषि मशीनरी के प्रचालन, मरम्मत ओर रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ; तथा
- IX. हाई-टेक खेती का कार्यान्वयन।

3. कार्यकलाप:

निगम के मुख्य कार्यकलापों में ट्रैक्टरों, पावर टिल्लरों, स्पिंकलरों, सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई उपकरणों आदि की बिक्री शामिल है। इसके अलावा निगम ट्रैक्टरों, टिलरों एवं अन्य उपकरणों, निर्मित वस्तुओं, विभिन्न कृषि आदानों जैसे जैविक खाद, जैव उर्वरक, कीटनाशी इत्यादि की बिक्री में भी शामिल हैं। निगम अन्य कार्यकलापों जैसी वस्तुओं के व्यापार, कृषि मशीनरी की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कार्यशाला एवं सेवा केंद्र चलाना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने एवं पुनालर में फल प्रसंस्करण इकाई चलाने के क्रियाकलाप में भी शामिल हैं। निगम ने हाल ही में नए क्षेत्रों जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के लिए मूल्य वर्धन खुदरा दुकानों की स्थापना आदि शुरू की है प्रमुख पहलों में कुछ हैं: कृषि बाजार, वायानाड में चावल मिल यूनिटों की स्थापना, माला में कटहल प्रकमण संयंत्र, केरल कृषि फल उत्पादों पुनालर का आधुनिकीकरण, कृषि मशीनों के कार्य मरम्मत और रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करना आदि की स्थापना जैसे क्षेत्रों में पहल की है।

4. वित्तीय परिणाम:

वर्ष 2014-15 के दौरान निगम का कुल कारोबार 6350.87 लाख रुपये है जबकि वर्ष 2013-14 में यह 6442.90 लाख रुपये था।

निगम को वर्ष 2013-14 के दौरान मात्र 107.66 लाख रुपये की हानि के मुकाबले में वर्ष 2014-15 को 240.80 लाख रुपये की कुल हानि हुई है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2013-14 के दौरान निगम को हुये 1468.26 लाख रूपए के संचयी घाटे की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान निगम का संचयी घाटा 1709.06 लाख रूपए हो गया है।

AUTHENTICATED


SHOBHA KARANDLAJE

Minister of State
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India
Kishi Bhawan, New Delhi

**STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE ANNUAL
REPORT & AUDITED ACCOUNTS OF THE KERALA AGRO INDUSTRIES
CORPORATION LIMITED FOR THE YEARS 2014-15 ONWARDS ON THE TABLE
OF LOK SABHA/RAJYA SABHA.**

The Kerala Agro Industries Corporation Limited is an undertaking under the direct control of the State Government of Kerala. The Government of India has a shareholding of about 35.76 % in the Corporation.

2 As per provisions contained under Section 394(1) of the Companies Act, 2013, where the Central Government is a member of a Government Company, the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of the Company to be:

- (a) Prepared within three months of its annual general meeting before which the audit report is placed under sub-section (6) of Section 143; and,
- (b) As soon as may be after such preparation, laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to the audit report, made by the Comptroller and Auditor General of India.

3. Further, in accordance with the recommendations contained in para 26 of the 1st Report of "Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha", copies of the Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation are to be placed on the Table of both the Houses of Parliament together with report/review, comments of auditors and Comptroller and Auditor General within 9 months of closure of the accounts.

4. Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare has been pursuing the matter with the Corporation as well as with the State Government to expedite submission of the Annual Reports. However, the Corporation failed to adhere to the time schedule. The Annual Accounts of the Kerala Agro Industries Corporation have been in arrears for the last few years. It was because of the cumulative effect of the previous years delay that there was accumulation of arrears in audit and accounts. The accumulation of arrears was mainly due to shortage of adequate staff having knowledge in Accounting and finalization of Accounts. The huge volume of transaction and compilation & consolidation of accounts of 26 units were other reasons for accumulation of arrears. The Annual Accounts for the year 2013-14 could be certified by the Auditors only on 17.07.2019 and adopted in the adjourned annual general meeting held on 24.10.2019. The Statutory Audit for the year 2014-15 commenced in February 2020. But due to the outbreak of COVID 19 pandemic lock down was declared by central government with effect from 24.03.2020 and which continued for a long time and which leads to delay in finalisation and audit of Accounts.

Thereafter, partial lifting of lock down was done by Central Government and direction given to State Governments to implement lock down, partial lock down or area wise containment zones to prevent the spreading of Corona virus. Thus the lock down and other local area restrictions continued up to September 2020. Then office was opened but the audit firm was reluctant to send their staff and auditors to resume audit. Further the employees were unable to attend the office due to declaration of their residential area as containment zones at different times. Thus KAIC were unable to complete the finalisation work and audit for the year 2014-15 and delay occurred due to the above mentioned reasons. The audit firm re-stated the audit by March 2021 but restrictions similar to lock down was declared in Kerala by May 2021 and which continued for more than one month due to high rate of spreading of COVID 19 and the audit work was again disturbed. Thereafter, audit commenced in July 2021 and the Annual Accounts 2014-15 certified only on 20.12.2021. The Annual Accounts along with Auditor's Report were sent to Comptroller and Auditor General of India on 20.12.2021. The Comments of C&AG was received on 20.01.2022. The Directors Reports along with comments of C&AG was placed in the Board Meeting held on 24.01.2022. The delay was unavoidable and beyond our control. Now action has been initiated for finalization and audit of arrear accounts from 2015-16 onwards and which will be completed in a time bound Manner.

5. The reasons for delay in finalization of Annual Accounts of the Kerala Agro Industries Corporation Limited for the year 2014-15 are as under:

S.No.	Task	Date with Period
1	Date of completion of accounts	15.03.2021
2	Date of appointment of statutory auditors by Comptroller and Auditor General (CAG)	24.07.2015 (2013-14 to 2016-17)
3	Date on which report of the statutory auditors was received	20.12.2021
4	When Accounts were sent to C&AG for approval	20.12.2021
5	Date on which Draft comments from Comptroller and Auditor General (CAG) were received	No draft comments issued
6	Date on which Final comments from Comptroller and Auditor General (CAG)- were received	20.01.2022
7	When AGM Convened for adoption of Annual Report & Accounts	07.02.2022
8	Date on which Annual Report printed and submitted to the Ministry	31.03.2022
9	Annual Report received in this Ministry	06.05.2022

6. Hence, there has been a delay in laying the Reports.

अधिप्रमाणित


शोभा करांदलाजे
राज्य मंत्री

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली

वर्ष 2014-15 की केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखों को लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का विवरण।

केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड केरल राज्य सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन एक प्रतिष्ठान है। भारत सरकार की निगम में लगभग 35.76 प्रतिशत ही हिस्सेदारी है।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(1) के प्रावधानों के अनुसार जहां केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी की एक सदस्य है, केन्द्रीय सरकार कम्पनी की कार्य प्रणाली और मामलों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट :

- (क) इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीनों के भीतर, जिससे पहले धारा 143 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, तैयार करवाएगी; तथा
- (ख) इस तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इस पर की गई टिप्पणियों अथवा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएगी।

3. इसके अलावा, "राज्य सभा के पटल पर रखे गए कागजातों से संबंधित समिति" की प्रथम रिपोर्ट के पैरा 26 में की गई सिफारिशों के अनुसार, निगम की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा-परीक्षित खातों की प्रतियां को, लेखों के बन्द होने के 9 महीनों के भीतर लेखा परीक्षकों और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट / समीक्षा, टिप्पणियों सहित, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना अनिवार्य है।

4. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्टों की प्रस्तुति में तेजी लाने के लिये निगम और राज्य सरकार के साथ मामले को उठाता रहा है। तथापि निगम समय के पालन करने में असमर्थ रहा है। केरल कृषि उद्योग निगम का वार्षिक लेखा पिछले कुछ वर्षों से बकाया है। विगत वर्षों के विलम्ब के संचयी प्रभाव के कारण लेखापरीक्षा एवं लेखाओं में बकाया का संचयन हुआ था। बकाया का संचयन मुख्य रूप से लेखाकरण और लेखाओं को अंतिम रूप देने में ज्ञान रखने वाले पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण था। लेन-देन की बड़ी मात्रा और 26 इकाइयों के खातों का संकलन और समेकन बकाया के संचय के अन्य कारण थे। वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों को केवल दिनांक 17.07.2019 को लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जा सका और दिनांक 24.10.2019 को आयोजित स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपनाया गया। वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा फरवरी 2020 में शुरू की गई। लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.03.2020 को लॉक डाउन की घोषणा की गई जो लंबे समय तक जारी रहा और जिसके कारण खातों को अंतिम रूप देने और लेखा परीक्षा में देरी हुई।

तत्पश्चात केंद्र सरकार द्वारा लॉक डाउन को आंशिक रूप से हटाया गया और राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉक डाउन, आंशिक लॉक डाउन या क्षेत्रवार संक्रमण क्षेत्र लागू करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार लॉक डाउन और अन्य स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिबंध सितंबर 2020 तक जारी रहे। उसके बाद कार्यालय खोला गया लेकिन लेखा परीक्षा फर्म अपने कर्मचारियों और लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा फिर से शुरू करने के लिए भेजने के लिए अनिच्छुक थी। इसके अलावा कर्मचारी अपने आवासीय क्षेत्र को अलग-अलग समय पर संक्रमण क्षेत्र घोषित करने के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार केएआईसी वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम रूप देने का कार्य एवं लेखापरीक्षा पूर्ण करने में असमर्थ रहे तथा उपरोक्त कारणों से विलम्ब हुआ। ऑडिट फर्म ने मार्च 2021 तक फिर से लेखा परीक्षा की, लेकिन मई 2021 तक केरल में लॉक डाउन के समान प्रतिबंधों की घोषणा की गई थी तथा जो कोविड 19 के प्रसार की उच्च दर के कारण एक महीने से अधिक समय तक जारी रहा और ऑडिट कार्य फिर से बाधित हो गया। इसके बाद ऑडिट जुलाई 2021 में शुरू हुआ और दिनांक 20.12.2021 को वार्षिक लेखा 2014-15 प्रमाणित किया गया। दिनांक 20.12.2021 को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजे गए थे। दिनांक 20-01-2022 को सीएजी की टिप्पणियां प्राप्त हुईं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट को दिनांक 24-01-2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में रखा गया था। देरी अपरिहार्य और हमारे नियंत्रण से परे थी। अब 2015-16 से बकाया खातों को अंतिम रूप देने और लेखा परीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा जिसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

5. वर्ष 2014-15 के लिए केरल एग्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	कार्य	अवधि के साथ दिनांक
1	खातों के पूरा होने की तिथि	15.03.2021
2	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	24.07.2015 (2013-14 से 2016-17)
3	वह तिथि जिस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हुई	20.12.2021
4	जब खातों को अनुमोदन के लिए कैग को भेजा गया था	20.12.2021
5	वह तारीख जिस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) से मसौदा टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं	कोई मसौदा टिप्पणी जारी नहीं की गई
6	वह तारीख जिस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) से अंतिम टिप्पणियां प्राप्त हुई	20.01.2022
7	जब वार्षिक रिपोर्ट और लेखे अपनाने के लिए एजीएम बुलाई गई	07.02.2022
8	वह तिथि जिस पर वार्षिक रिपोर्ट मुद्रित की गई थी और मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी	31.03.2022
9	इस मंत्रालय में प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट	06.05.2022

6. इसलिए, प्रतिवेदनों को पटल पर रखने में विलम्ब हुआ।